उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–1/5/2001–का–4–2008
लखनऊः दिनांकः 25 नवम्बर, 2008

अधिसूचना संख्या–1/5/2001–का–4–2008 दिनांक 25.11.2008 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ सेवा नियमावली–2008 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव सह निदेशक, कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को प्रश्नगत नियमावली को विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के अन्तर्गत असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से
(विनय कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–1/5/2001–का–4–2008
लखनऊ : दिनाक : 25 नवम्बर, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ सेवा नियमावली 2008

भाग–एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ सेवा नियमावली, 2008 कही जायगी । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
सेवा की प्रास्थिति	2. उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' के पद समाविष्ट हैं ।
परिभाषायें	3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:– (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ; (ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य विशेष कार्याधिकारी और शोध अधिकारी के पद के संबंध में राज्यपाल से है और समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, टंकक/ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, वाहन चालक, मशीन आपरेटर और चपरासी के पद के संबंध में विशेष सचिव–सह–निदेशक, प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश से है; (ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय, (घ) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है; (ड.) 'संविधान' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है; (च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ; (छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

	से है ; (ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; (झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है; (ञ) 'सेवा का तात्पर्य' उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ सेवा से है; (ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हो; (ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग –दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग	4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय । (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट मे दी गयी है । परन्तु ; (एक) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे ।

भर्ती का स्रोत	5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:– (1) विशेष कार्याधिकारी– उत्तर प्रदेश सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुभाग अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सेवा स्थानान्तरण द्वारा । (2) शोध अधिकारी– उत्तर प्रदेश सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और जो प्रशिक्षण कार्य से संबंधित अनुभव रखते हों, सेवा स्थानान्तरण द्वारा । (3) समीक्षा अधिकारी– उत्तर प्रदेश सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समीक्षा अधिकारी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सेवा स्थानान्तरण द्वारा ; परन्तु यदि सेवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है । (4) अपर निजी सचिव– उत्तर प्रदेश सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निजी सचिवों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सेवा स्थानान्तरण द्वारा ; परन्तु यदि सेवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है । (5) टंकक / कनिष्ठ श्रेणी लिपिक– सीधी भर्ती द्वारा । (6) वाहन चालक– समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993, के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा । (7) मशीन आपरेटर– समय–समय यपर यथा संशोधित समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा । (8) चपरासी– समय–समय पर यथा संशोधित समूह 'घ' कर्मचारी

	सेवा नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ।
आरक्षण	6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता	7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:' (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो; परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले; परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले । टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या

	उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।
शैक्षिक अर्हता	8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:–

पद	अर्हता
(1)समीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।
(2)अपर निजी सचिव	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। (दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण मे कमशः अस्सी शब्द प्रति मिनट और पचीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है । (तीन) कम्प्यूटर का निम्नुसार ज्ञान रखना आवश्यक है– (क) डी.ओ.ई.ए.सी.सी.सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग(सी.सी.सी.) के लिए विहित पाठ्यक्रम, या (ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम ।
(3) टंकक/ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है । (दो) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है । टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसे अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान हो ।
(4)वाहन चालक	समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में वाहन चालक के पद के लिए यथा विहित तकनीकी और शैक्षिक अर्हतायें होना आवश्यक है ।

	5.मशीन आपरेटर	(एक) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है । (दो) इलेक्ट्रोस्टेट मशीन के प्रचालन का ज्ञान हो ।
	(6) चपरासी	समय–समय पर यथा संशोधित समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में चपरासी के पद के लिये यथाविहित अर्हतायें रखता हो ।
अधिमानी अर्हता	9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायगा जिसने:– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।	
आयु	10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जांय पहली जुलाई को नीचे दी गयी सारणी में पद के सापेक्ष (विनिर्दिष्ट) न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो ,	

क.सं.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1.	समीक्षा अधिकारी	21	35
2.	अपर निजी सचिव	21	35
3.	टंकक / कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	18	35
4.	वाहन चालक	21	35
5.	मशीन आपरेटर	18	35
6.	चपरासी	18	35

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र	11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस विन्दु पर अपना समाधान कर लेगा । टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी

	अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।
वैवाहिक प्रास्थिति	12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो ; परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।
शारीरिक स्वस्थता	13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

भाग–पांच– भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण	14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां उसको सूचित की जायेगी । चयन समिति के माध्यम से भरी जाने वाली सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां इस संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेंगी ।
सेवा स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की प्रकिया	15. (1) सेवा स्थानान्तरण द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (एक) सरकार के कार्मिक विभाग में यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव.....अध्यक्ष (दो) विशेष सचिव–सह–निदेशक, कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ.....सदस्य टिप्पणी:–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशक समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम

	की धारा–7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा । (2) सेवा स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा । चयन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थियों के संबंध में ऐसी भर्ती के लिये संबंधित पैतृक विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं । (3) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पात्र अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो इस संबंध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों । (4) चयन समिति, अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा । चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।
समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव के पदों के लिये आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया	16. (1) समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव के पदों की सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे । (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो । (3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगा जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर स्थान पर रखा जायेगा । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को, अग्रसारित करेगा ।

टंकक/ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद के लिये सीधी भर्ती की प्रकिया	17. सेवा में टंकक/ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर सीधी भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी ।
वाहन चालक के पद के लिये सीधी भर्ती की प्रकिया	18. सेवा में वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में दी गयी प्रकिया के अनुसार की जायेगी ।
मशीन आपरेटर और चपरासी के पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रकिया	19. सेवा में मशीन आपरेटर और चपरासी के पदों पर सीधी भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 में दी गयी प्रकिया के अनुसार की जायेगी ।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति	20. (1) नियम 21 में यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिस क्रम में वे यथास्थिति नियम 15,16,17,18 या 19 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा । (2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित हो ।
आमेलन द्वारा नियुक्ति	21. (1) किसी सरकारी विभाग का मौलिक रूप से नियुक्त कोई स्थायी कर्मचारी, जो– (एक) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ में सेवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर समीक्षा अधिकारी या अपर निजी सचिव के पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को एक वर्ष से अन्यून अवधि से कार्य कर रहा हो, और (दो) वह अपने द्वारा धारित पद पर आमेलित किये जाने का इरादा रखता हो ; उक्त दिनांक से 90 दिनों के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि वह इस प्रकार आमेलित किये जाने का इरादा रखता है । (2) इस नियमावली के अधीन कोई भर्ती करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी उन कर्मचारियों के मामले में, जो ऐसे आमेलन के लिये विकल्प देते हैं, चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के आधार पर जो

	उचित समझे जायें, विचार करेगा और कर्मचारियों की कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ में उनके योगदान के दिनांक के कम में एक सूची तैयार करेगा जो उसकी राय में इस प्रकार आमेलित किये जाने के लिए उपयुक्त हैं ; परन्तु इस नियमावली के अधीन किसी कर्मचारी के आमेलन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका पैतृक विभाग ऐसे आमेलन हेतु अपनी संस्तुति नहीं दे देता । (3) कोई कर्मचारी, जिसे उप नियम (2) के अधीन आमेलन के लिये उपयुक्त पाया जाय, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी आमेलन के आदेश के दिनांक से, उसके द्वारा धारित पद पर आमेलित कर लिया जायेगा और उसी दिनांक से उसके पैतृक विभाग में उसकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी किन्तु सेवा नैवृत्तिक और पेंशन के हितलाभ के लिये उसकी पूर्व की सेवाएं समपहृत नहीं होंगी और इसके प्रतिकूल किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबन्ध शिथिल हो जायेंगे ।
परिवीक्षा	22. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा । (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ; परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी । (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं । (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा । (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ

	गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।
स्थायीकरण	23. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि– (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ; और (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय । (2) जहां समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा करते हुए आदेश को, कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।
ज्येष्ठता	24. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी । परन्तु नियम 21 के अधीन आमेलित व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता ऐसी होगी जैसी कि नियम 21 के अधीन तैयार की गई सूची में दर्शायी गयी है ।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान	25. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय । (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं ।
परिवीक्षा अवधि में वेतन	26. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ;

	(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग–आठ– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	27. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।
अन्य विषयों का विनियमन	28. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे ।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	29. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ; परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा ।
व्यावृत्ति	30. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

{देखिए नियम 4(2) और 25 (2)}

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान (रूपये में)	टिप्पणी
1.	विशेष कार्याधिकारी	01	10,000–325–15,200	–
2.	शोध अधिकारी	01	8,000–275–13,500	शोध अधिकारी का पद शासनादेश संख्या–24/5/83–का–4/2000, दिनांक 09 जून, 2000 द्वारा आस्थगित है ।
3.	समीक्षा अधिकारी	02	6,500–200–10,500	–
4.	अपर निजी सचिव	02	6,500–200–10,500	–
5.	टंकक/ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	01	3,050–75–3,950–80–4,590	–
6.	वाहन चालक	01	3,050–75–3,950–80–4,590	–
7.	मशीन आपरेटर	01	2,610–60–3,150–65–3,540	–
8.	चपरासी	03	2,550–55–2,660–60–3,200	चपरासी का एक पद शासनादेश संख्या–24/5/83–का–4–/2000, दिनांक 09 जून, 2000 द्वारा आस्थगित है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/5/2001-Ka-4/2008, dated 25 November, 2008.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION -4
NOTIFICATION
Miscellaneous
No. 1/5/2001-Ka-4/2008
Dated Lucknow, 25 November, 2008

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Personnel Department Training Co-ordination Cell Service.

THE UTTAR PRADESH PERSONNEL DEPARTMENT TRAINING CO-ORDINATION CELL SERVICE RULES, 2008

PART-I-GENERAL

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Personnel Department Training Co-ordination Cell Service Rules, 2008. (2) They shall come into force at once.
Status of the service	2. The Uttar Pradesh Personnel Department Training Co-ordination Cell Service is a service comprising Group 'A', Group ' B', Group ' C' and Group 'D' posts.
Definitions	3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: (a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; (b) 'appointing authority' in relation to the posts of Officer on Special Duty and Research Officer means the Governor and in relation to the posts of Samiksha Adhikari, Additional Private Secretary, Typist/ Junior Grade Clerk, Driver, Machine Operator and Peon means the Special Secretary-cum-

	Director, Training Co-ordination Cell, Uttar Pradesh; (c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution; (d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission; (e) 'Constitution' means the Constitution of India; (f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh; (g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh; (h) 'member' of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service; (i) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time; (j) 'service' means the Uttar Pradesh Personnel Department Training Co-ordination Cell Service; (k) 'substantive appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules, and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; (l) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II-CADRE

Cadre of service	4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

	(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in the Appendix: Provided that:- (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III- RECRUITMENT

Source of recruitment	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: (1) **Officer on Special Duty-** By transfer of service from amongst substantively appointed Section Officers of the Uttar Pradesh Secretariat who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment. (2) **Research Officer-** By transfer of service from amongst substantively appointed Samiksha Adhikari of the Uttar Pradesh Secretariat who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and who possess experience relating to the training work. (3) **Samiksha Adhikari-** By transfer of service from amongst substantively appointed Samiksha Adhikari of the Uttar Pradesh Secretariat who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment: Provided that if no suitable person is available for being appointed by transfer of service, the post may be filled by direct recruitment through the Commission.

	(4) **Additional Private Secretary**- By transfer of service from amongst substantively appointed Additional Private Secretaries of the Uttar Pradesh Secretariat who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment: Provided that if no suitable person is available for being appointed by transfer of service, the post may be filled by direct recruitment through the Commission. (5) **Typist/Junior Grade Clerk**- By direct recruitment. (6) **Driver**- By direct recruitment in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993, as amended from time to time. (7) **Machine Operator**- By direct recruitment in accordance with the provisions of the Group 'D' Employees Service Rules, 1985, as amended from time to time. (8) **Peon**- By direct recruitment in accordance with the provisions of the Group 'D' Employees Service Rules, 1985 as amended from time to time.
Reservation	6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the provisions of the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART- IV- QUALIFICATIONS

Nationality	7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be: (a) a citizen of India; or (b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of

<table>
<tr><td></td><td>permanently settling in India; or
(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:
Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:
Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:
Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.
NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.</td></tr>
<tr><td>Academic qualification</td><td>8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications:
<table>
<tr><td>Post</td><td>Qualification</td></tr>
<tr><td>(1)Samiksha Adhikari</td><td>A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.</td></tr>
<tr><td>(2)Additional Private Secretary</td><td>(i) Must possess Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.
(ii) Must have a minimum speed of eighty words per minute and twenty</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		five words per minute in Hindi Shorthand and Hindi Typewriting respectively. (iii) Must possess the knowledge of Computer in accordance with- (a) the course prescribed for the Certificate Course in Computing (CCC) conducted by DOEACC Society, or (b) the course conducted by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or a course recognised by the Government as equivalent thereto.
	(3)Typist/ Junior Grade Clerk	(i) Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) Must possess a minimum speed of 25 words per minute in Hindi typewriting. **NOTE**:- Preference shall be given to a candidate knowing English typewriting also.
	(4) Driver	Must possess the technical and academic qualifications as prescribed for the post of Driver in the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993 as amended from time to time.
	(5) Machine Operator	(i) Must have passed class VIII examination from an Institution recognised by the Government. (ii) Knowledge of operating Electrostate machine.
	(6) Peon	Must possess the qualifications as prescribed for t he post of Peon in the Group 'D' Employees Service Rules, 1985, as amended from time to time

Preferential qualification	9. A candidate who has: (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age and must not have attained the age more than the maximum age specified against the post in the table given below on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised:

Serial no.	Name of the post	Minimum age	Maximum age
1.	Samiksha Adhikari	21 years	35 years
2.	Additional Private Secretary	21 years	35 years
3.	Typist/Junior Grade Clerk	18 years	35 years
4.	Driver	21 years	35 years
5.	Machine Operator	18 years	35 years
6.	Peon	18 years	35 years

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character	11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. **NOTE-** Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status	12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service: Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
Physical fitness	13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III.

PART-V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies	14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them. The vacancies for direct recruitment to be filled through the Selection Committee shall be notified by the appointing authority in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.
Procedure for recruitment by transfer of service	15. (1) Recruitment by transfer of service shall be made through a Selection Committee comprising: (i) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Personnel Department .....Chairman. (ii) Special Secretary-cum-Director, Personnel Department Training Co-ordination Cell .....Member. **NOTE**- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time. (2) All the applications received for recruitment by

	transfer of service shall be placed before the Selection Committee. The Selection Committee shall ensure that no objection certificate for such recruitment in respect of the candidates has been received from the concerned parent departments. (3) The Selection Committee shall scrutinize the applications and shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of eligible candidates as have come up to the standard fixed by the Committee in this respect. (4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by them in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.
Procedure for direct recruitment through the Commission for the posts of Samiksha Adhikari and Additional Private Secretary	16. (1) Application for permission to appear in the competitive examination for direct recruitment to the posts of Samiksha Adhikari and Additional Private Secretary shall be invited by the Commission in the proforma prescribed in the advertisement issued by the Commission. (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission. (3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.
Procedure for direct recruitment for the post of	17. Direct recruitment to the post of Typist/ Junior Grade Clerk in the service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Procedure for

Typist/ Junior Grade Clerk	Direct Recruitment for Group 'C' Posts (outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, as amended from time to time.
Procedure for direct recruitment for the post of Driver	18. Direct recruitment to the post of Driver in the service shall be made in accordance with the procedure laid down in the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993, as amended from time to time.
Procedure for direct recruitment for the post of Machine Operator and Peon	19. Direct recruitment to the posts of Machine Operator and Peon in the service shall be made in accordance with the procedure laid down in the Group 'D' Employees Service Rules, 1985, as amended from time to time.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment	20. (1) Save as provided in rule 21, the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15,16,17,18 or 19, as the case may be. (2) If more than one order of appointments are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.
Appointment by absorption	21. (1) A substantively appointed confirmed employee of a Government Department, who- (i) has been working on transfer of service/ deputation in the Personnel Department Training Co-ordination Cell, on the post of Samiksha Adhikari or Additional Private Secretary for not less than one year on the date of the commencement of these rules; and (ii) intends to be absorbed on the post held by him; shall, within 90 days from the said date intimate in writing to the appointing authority that he intends to be so absorbed. (2) The appointing authority shall, before any recruitment is made under these rules, consider cases of employees, who opt for such absorption, on the basis of character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper, and prepare a list of

	employees, in order of the dates of their joining the Personnel Department Training Co-ordination Cell, who, in its opinion, are fit to be so absorbed: Provided that no employee shall be considered for absorption under this rule unless his parent department consents to such absorption. (3) An employee, who is found fit for absorption under sub-rule (2), shall be absorbed on the post in the service held by him with effect from the date of the order of absorption issued by the appointing authority and his service in the parent department shall with effect from the same date, cease, but shall not entail forfeiture of his past services for retirement and pensionary benefits and provisions of any rules or regulations to the contrary shall stand relaxed.
Probation	22 (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year. (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one year. (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation. (5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Confirmation	23.(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of

	probation, if- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory, and (b) his integrity is certified. (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, as amended from time to time, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.
Seniority	24. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time: Provided that inter se seniority of persons absorbed under rule 21 shall be such as is shown in the list prepared under rule 21.

PART-VII- PAY-ETC.

Scales of pay	25. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in the Appendix.
Pay during probation	26. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, has completed the probationary period and is also confirmed. (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules. (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government

	servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII- OTHER PROVISIONS

Canvassing	27. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other matters	28. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxation from the conditions of service	29. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner: Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.
Savings	30. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

(Kunwar Fateh Bahadur)
Principal Secretary

APPENDIX
(See rules 4(2) and 25(2)

Serial no.	Name of the post	Number of post	Scale of pay (Rupees)	Remarks
1.	Officer On Special Duty	01	10,000-325-15,200	-
2.	Research Officer	01	8,000-275-13,500	The post of Research Officer held in abeyance vide G.O. no.24/5/83-Ka-4/2000, dated June 09, 2000
3.	Samiksha Adhikari	02	6500-200-10500	-
4.	Additional Private Secretary	02	6500-200-10500	-
5.	Typist/ Junior Grade Clerk	01	3,050-75-3,950-80-4,590	-
6.	Driver	01	3,050-75-3,950-80-4,590	-
7.	Machine Operator	01	2,610-60-3,150-65-3,540	-
8.	Peon	03	2,550-55-2,660-60-3,200	One post of Peon held in abeyance vide G.O. no. 24/5/83-Ka-4/2000, dated, June 09, 2000.